

21/11/19

पत्रावली पेश हुई। वकील जगदीश एजिटर। प्रकरण से संबंधित मूल
पत्रावली बरामद की गई। पत्रावली का अवलोकन करने पर मूल
जद पत्र नदी वकील द्वारा जे.ए.एस. में खारिज किया जाने के विवेक पर
खारिज की गई थी। वकील जगदीश द्वारा प्रकरण नहीं चलाने का विवेक
किया है। अतः ज.पत्र 029 R 4 खारिज किया जाता है। मिसल
फैसल नुमाए होकर नंबर से कम की जाकर दायित्व परकर है।

(Signature)

